



पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, विदिशा PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYAVIDISHA

गर्ल्स कॉलेज के पीछे सांची रोड, विदिशा - 464001
Behind Girls College Sanchi Road, Vidisha - 464001

दूरभाष Phone: : 07592-232737

ई-मेल E-Mail: principalkvvidisha@gmail.com,

वेबसाइट Website:-https://kvvidisha.kvs.ac.in

CBSE Affiliation No: 1000075

KV Code: 54136



फा/ के.वि.वि/2025/512 A

दिनांक: 09/01/25

कार्यालय आदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु०) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. 11-55/2000-केविसं (सतर्कता) / पार्ट-1 दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा. 11-55/2000-केविसं (सतर्कता) / पार्ट -1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा-4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विदिशा में प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु निम्न समिति (Internal Complaint Committee) का गठन किया जाता है।


क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	क्षेत्राधिकार
1	Presiding officer	श्रीमती गीता भदौरिया, प्राचार्य, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विदिशा (9415100618)	पीएम श्री के वी विदिशा में पीजीटी स्तर) एच
2	महिला सदस्य	श्रीमती संगीता भंडारी, परास्नातक शिक्षिका जीवविज्ञान, (8078667129)	एम को छोड़कर (तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
3	पुरुष सदस्य	श्री परीक्षित धुर्वे, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला (9977310190)	
4	गैर शाशक्रीय संस्था सदस्य	श्रीमती तनु जैन, प्रदेश अध्यक्ष, (म. प्र) महिला उन्नति संस्था भारत, (9312635610)	

टिप्पणी:

- पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- सभी स्तरों पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन एक आधार पर किया जाएगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलाएं होंगी।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न) रोकथाम, निषेध, और निवारण अधिनियम 2013 " / "Sexual Harrassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावों कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच राख्त्री के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार की जाए।

वितरण:

- पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
- उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग सूचनार्थ।


प्राचार्य
प्राचार्य
पी. एम. श्री केंद्रीय विद्यालय
विदिशा (म.प्र.)